

**MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED**

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

CIN L32101DL1986GOI023501

Registered and Corporate Office: Mahanagar Doorsanchar Sadan 5th Floor, 9 CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110 003. Tel: 011-24319020, Fax: 011-24324243, Website: www.mtnl.in Email: mtnlcsc@gmail.com

MTNL/SECTT/SE/2026**February 14, 2026**

To, BSE Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001. Scrip Code: 500108	To, National Stock Exchange of India Limited (NSE) Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051 Scrip Symbol: MTNL
--	---

Sub: COMPLIANCE WITH REGULATION 30 & 47 OF SEBI (LODR) REGULATIONS, 2015 – SUBMISSION OF NEWSPAPER ADVERTISEMENT - reg

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 and 47(3) read with Schedule III of SEBI (LODR) Regulations, 2015, please find enclosed the copies of newspaper advertisement published on 14.02.2026, in the newspaper Financial Express (English Newspaper) and Jansatta (Hindi Newspaper), regarding Publishing of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the 3rd Quarter ended on 31.12.2025 which were considered, approved and taken on record by the Board of Directors in their meeting held on 12.02.2026.

Further, in terms of Regulation 46 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the aforesaid Financial Results has been uploaded on the website of the Company (www.mtnl.in).

Kindly take the same on your records.

Thanking You,
Yours faithfully,

(RATAN MANI SUMIT)
COMPANY SECRETARY

महारौली-बदरपुर रोड पर दो मंजिला सेतु मार्ग बनेगा, जाम से मिलेगी राहत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 फरवरी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को पोखरा करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार महारौली-बदरपुर रोड पर 1471 करोड़ रुपये की लागत से दो मंजिला सेतु मार्ग (उपलव डैक फ्लाईओवर) बनाने का रही है। ताकि पायावता जाम की समस्या से निपटा जा सके। उक्त बात मुख्यमंत्री ने छतरपुर विधानसभा में शुक्रवार को 322 करोड़ रुपये से अधिक लागत की बहुप्रतीक्षित नैसर्ग परिवोजनाओं के शिलान्यास के दौरान कही।

बता दें कि इन परिवोजनाओं में सड़क निर्माण के साथ ही उनका सुदृढीकरण, नालियाँ का निर्माण व सुधार, यातायात जाम की समस्या के समाधान के लिए आवश्यक ढांचगत सुधार



1471 करोड़ हमें खर्च मुख्यमंत्री ने छतरपुर विधानसभा में किया करीब 322 करोड़ रुपये की विकास परिवोजनाओं का शिलान्यास।

व रकूलों का उद्घाटन और सार्वजनिक सुविधाओं का विकास शामिल है। इस दौरान विधानसभा की कालोनीयों में मूलभूत सुविधाओं का विचार भी सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस दौरान छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में तीन नए स्कूलों को भी बनाए जाने की जानकारी दी।

साथ ही छतरपुर व उसके आस-पास के क्षेत्रों में चार 'एलिमेंट्री' सड़क परिवोजनाओं की भी स्वीकृत किया गया है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने छतरपुर के ऐतिहासिक मंदिरों का बर्बाद करने हुए कहा कि साल 1976 में बनी संजय कालोनी को इंदिरा गांधी के चेत के नाम पर तो रखा लेकिन कोई सुविधा कोटेशन से नहीं दी। हाल गढ़ था कि बिना जग के चर्चे पड़ने को मजबूर थे, बंदर स्कूल में घुस जाते थे, बिजली नहीं आती थी। जबकि अरविंद केजरीवाल ऐसे स्कूलों को देखने के बाद जून शिक्षा माडल की बात करते थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अटल कैंटीन का फ्रैंक करते हुए कहा कि 'कमल फूल सरकार' ने पांच रुपये में खाना विलयाया व आरोग्य मंदिर के माध्यम से 'मिनी अस्पताल' शुरू करवाए ताकि यही इलाज मिल सके।

दिल्ली सरकार ने 51 और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की शुरुआत की

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 फरवरी।

दिल्ली में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने मदीपुर में नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया। इसके साथ ही राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ 51 नए केंद्रों का लोकार्पण किया गया। अब दिल्ली में इन केंद्रों

की कुल संख्या बढ़कर 370 हो गई है। मंत्री ने बताया कि एक वर्ष के भीतर स्थापित इन केंद्रों से अब तक 14 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं।

मदीपुर स्थित केंद्र में मातृ एवं प्रसव संबंधी देखभाल के लिए भर्ती की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही ध्यान और योग की व्यवस्था भी शुरू की गई है, जिसका विस्तार अन्य केंद्रों में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि इन आरोग्य मंदिरों

का उद्देश्य लोगों को घर के पास ही निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है, ताकि अस्पतालों पर दबाव कम हो। इन केंद्रों पर मुक्त परामर्श, आवश्यक दवाएं, सी से अधिक जांच, मधुमेह और उच्च रक्तचाप की जांच, टीकाकरण तथा जन्म-रक्तचाप सेवाएं उपलब्ध हैं। सरकार का लक्ष्य पहिले में 1100 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित कर प्रत्येक नागरिक तक बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
निगम एवं पंजीकृत कार्यालय- महानगर दूरभाष कार्यालय, नई दिल्ली-110003
वेबसाइट- www.mtnl.net.in, फोन (कार्यालय)- 011-24319020, फैक्स- 011-24324242, मोबाइल- 132101DL198660123501

31.12.2025 को सामान्य तिमाही एवं नौ माह के एकल एवं संचित अंकों/विविध वित्तीय परिणामों का सारांश (क. करोड़ रु.)										
विवरण	एकल					संचित				
	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
1. राजस्व एवं भुगतान	1794.24	236.42	497.85	784.94	1,070.28	197.52	291.24	546.48	816.63	1,079.32
2. अप्रत्याशित लाभ एवं हानि के शुद्ध प्रभाव (आर्थिक/वित्तीय)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
3. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (आर्थिक/वित्तीय)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
4. नवीन वित्त संचयन (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
5. नवीन वित्त संचयन शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
6. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
7. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
8. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
9. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
10. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
11. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
12. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
13. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
14. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
15. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
16. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
17. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
18. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
19. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
20. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
21. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
22. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
23. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
24. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
25. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
26. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
27. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
28. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
29. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
30. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
31. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
32. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
33. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
34. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
35. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
36. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
37. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
38. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
39. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
40. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
41. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
42. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
43. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
44. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
45. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
46. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
47. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
48. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
49. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
50. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
51. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
52. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
53. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
54. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
55. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
56. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
57. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
58. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
59. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
60. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
61. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
62. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
63. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
64. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
65. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
66. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
67. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
68. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
69. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
70. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
71. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
72. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
73. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.30)	(2,499.81)	(3,328.31)
74. राजस्व एवं भुगतान शुद्ध प्रभाव (नवीन वित्त संचयन/वित्त संचयन)	(898.36)	(836.05)	(2,798.49)	(2,496.29)	(3,323.51)	(898.94)	(836.07)	(2,800.3		